तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
19.10.2020	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित है। अप्रार्थी है। समस्त 5 के नोटिस बाद तामील संलग्न है। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से इकबाली जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल फाईल किया गया। नकल वकील प्रार्थी को दिलाई गई। प्रार्थना पत्र बहस सुनी गई। वाद अधिकार घोषणा, विभाजन भूमि का [illegible] व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। दिनांक 09-07-2020 को ग्राम खानपुरा तहसील नैनवां की भूमि खसरा नं. $\frac{1024}{0-12}$, $\frac{1296}{0-06}$, $\frac{1297}{0-15}$, $\frac{1299}{0-19}$, $\frac{1301}{0-08}$, $\frac{1321}{1-06}$, $\frac{1322}{0-11}$ कुल किता 07 कुल रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा के सम्बन्ध में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा वास्ते रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखे जाने बाबत Confirm (पुष्ट) की ताफैसलावाद की जाती है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे। उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.02.05 12:10:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner